



## उत्तर प्रदेश शासन

### उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला मुरादाबाद  
तहसील मुरादाबाद  
आवेदन क्र० 211350030156817  
प्रमाणपत्र क्र० 042223000473

जारी दिनांक: 10/01/2022

प्रमाणित किया जाता है कि

पुत्र/पुत्री

माता का नाम

निवासी

ग्राम

तहसील

जिला

नेहा

खुशीराम

लक्ष्मी

,नियर अकबर ब्रास बंगला गाँव

मुरादाबाद

मुरादाबाद



उत्तर प्रदेश राज्य की सैनी जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि नेहा पूर्वोक्त अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एवं शासनादेश संख्या 22/16/92 टी० सी०-III, दिनांक २० अक्टूबर २००८ द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धन कर अधिनियम १९५७ में यथा विहिप छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है।



जारी कर्ता केन्द्र: फरहान अली, वाईफाई चौपाल जन सेवा केंद्र

पद: फरहान अली, केन्द्र प्रभारी

स्थान : 70, मुरादाबाद बार्ड नंबर

70, मुरादाबाद, मुरादाबाद, मुरादाबाद

दिनांक: 10/01/2022

हस्ताक्षर एवं मुहर

NITIN  
TEWATIA  
Digitally Signed by  
NITIN TEWATIA  
O=U.P.GOVERNMENT,  
OU=REVENUE,  
S=UTTAR PRADESH

सक्षम अधिकारी/तहसीलदार

डिजिटल हस्ताक्षरित

मुरादाबाद, मुरादाबाद

दिनांक: 10/01/2022

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिस्टम द्वारा तैयार किया गया है तथा डिजिटल सिग्नेचर से हस्ताक्षरित है। सम्बन्धित केन्द्र के अधिकृत कर्मी द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट <http://edistrict.up.gov.in> पर इसका पहले आवेदन क्र० फिर प्रमाणपत्र क्र० अंकित कर, सत्यापित किया जा सकता है।